छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

शालेय पाठ्यपुस्तकों से विवादित अंशों को विलोपित किये जाने हेतु जारी आदेश

1. (*क्र. 326) **मोहम्मद अकबर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में किन-किन कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों से विवादित अंशों को हटाने का आदेश किसके-किसके द्वारा कब-कब दिया गया है ? (ख) उक्त पाठ्यपुस्तकों के लेखक कौन-कौन हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) वर्ष 2007-2008 में कक्षा 10वीं की "हिन्दी विशिष्ट" पुस्तक के पाठ-12 "गुरू घासीदास" के विवादित अंशों को विलोपित करने का आदेश छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 24-8-2007 एवं दिनांक 3-9-2007 को दिया गया. जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" में है. (ख) उक्त पाठ्यपुस्तक हिन्दी विषय पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के निम्नांकित सदस्यों द्वारा तैयार की गई है :—

1. श्रीमती रत्ना गांगुली, प्राचार्य
2. श्री बी. बी. सिंह, व्याख्याता
3. डॉ. एल. आर. तिवारी, प्राचार्य
4. श्री आई. पी. गुप्ता, व्याख्याता
5. कुमारी उर्मिला आचार्य, व्याख्याता
6. श्री संतोष कुमार दुबे, व्याख्याता
7. डॉ. डी. पी. तिवारी, व्याख्याता
8. श्रीमती एस. बैनर्जी, शिक्षिका
9. श्रीमती एस. मिश्रा, शिक्षिका

उक्त पाठ्यपुस्तक के उल्लेखित पाठ के मूल लेखक श्री शंकरलाल टोडर हैं.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत कार्य प्रारंभ नहीं करने बाबत्

2. (*क्र. 236) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले के कौन-कौन से ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 30 जनवरी, 2008 तक एक भी कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके हैं ? विकासखण्डवार ग्रामों की जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : विकासखण्डवार ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

कांकेर में रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता

3. (*क्र. 126) **श्री भूपेश बघेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन को कांकेर में

† परिशिष्ट "एक"

रोजगार गारंटी योजना में कीटनाशक और खाद आपूर्ति में गड़बड़ी किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? (ख) यदि हां तो किन-किन लोगों को दोषी पाया गया और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जी हां. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

अवैध खनिज उत्खनन तथा परिवहन पर कार्यवाही

4. (*क्र. 57) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में दिनांक 1-1-2004 से 31-12-2007 तक अवैध उत्खनन कर अवैध परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा कितने दण्डित किए गए ? वर्षवार जानकारी दी जावे ? (ख) उक्त में से कितने वाहनों को एक से अधिक बार अवैध परिवहन करते पकड़ा गया ? वाहन क्रमांक, मालिक (ओनर) तथा पता सहित वर्षवार जानकारी दी जावे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों एवं कार्यवाही पश्चात् वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' पर दर्शित है.

मध्यान्ह भोजन हेतु गैस सिलेण्डरों की रिफिलिंग व्यवस्था संबंधी

5. (*क्र. 359) **श्री उदय मुदलियार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव विकासखण्ड में वर्ष 2005-2006 में एवं 2006-2007 में मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु कितने गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हों की खरीदी किस एजेन्सी से की गई ? (ख) 31 दिसम्बर, 2007 को स्थिति में गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हों की भौतिक स्थिति क्या है ? (ग) क्या सत्य है कि सिलेण्डरों की रिफिलिंग के अभाव में उपयोग बंद है ? यदि हां, तो कितने बंद हैं, रिफिलिंग की क्या व्यवस्था की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) राजनांदगांव विकासखण्ड में वर्ष 2005-2006 में मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए 236 गैस चूल्हे आल्प्स इण्डस्ट्रीज सिलवासा दादर एवं नगर हवेली से क्रय किये गये. इन्हें 228 प्राथमिक शालाओं में स्थापित किया गया एवं 228 गैस कनेक्शन लिये गये. गैस कनेक्शन के अंतर्गत 256 गैस सिलेण्डर जे. के. एण्ड सन्स एच. पी. गैस एजेन्सी, राजनांदगांव से एवं 200 गैस सिलेण्डर होम प्राईड इन्डेन गैस एजेन्सी राजनांदगांव से प्राप्त हुए. वर्ष 2006-2007 में गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हों का क्रय नहीं किया गया है. (ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति में सभी गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हे सुरक्षित हैं. (ग) जी नहीं, केवल 142 शालाओं में रिफिलिंग न होने के कारण सिलेण्डर का उपयोग बन्द है. रिफिलिंग कराने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों/स्व-सहायता समूहों का है, जिन्हें इस हेतु कुकिंग कास्ट 2.50 (दो रुपये पचास पैसे) की राशि नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है.

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के संपादन हेतु एन.जी.ओ. को आवंटित राशि

6. (*क्र. 272) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (नवा अंजोर) के तहत वर्ष 2006-2007 एवं 2007-08 में कितनी राशि खर्च की गई है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) क्या कंडिका क के कार्यों का संपादन एन.जी.ओ. द्वारा भी करवाया गया है ? यदि हां, तो एन.जी.ओ. का नाम एवं उन्हें आवंटित राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा दें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-एक'' में दर्शित है. (ख) जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-दो'' में दर्शित है.

शिक्षाकर्मी भर्ती हेतु विज्ञापित पद

7. (*क्र. 283) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षाकर्मी वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के कितने-कितने पदों हेतु विज्ञापन निकाले गये हैं ? जिलेवार, विषयवार जानकारी देवें ? (ख) क्या

† परिशिष्ट ''दो''

वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के पदों हेतु परीक्षा तिथियां एक ही है ? यदि हां तो वर्ग-1 एवं वर्ग-2 दोनों के लिए आवेदन करने वालों के लिए क्या प्रावधान है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां. आवेदन पत्र में वर्ग-01 एवं वर्ग-2 दोनों के लिए आवेदन करने पर आवेदन फार्म में दिये गये विकल्प में वर्ग-01 एवं वर्ग-02 चुनना होगा.

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शासकीय सेवकों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

8. (*क्र. 328) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि में कितने शासकीय सेवकों के विरुद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण दर्ज हैं ? विभागवार बतायें ? (ख) उक्त प्रकरणों में कितने शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? जानकारी विभागवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कुल 4 (चार) प्रकरण निम्नानुसार है :-

	विभाग का नाम	**प्रकरणों की संख्या**
1.	कृषि विभाग	2
2.	सहकारिता विभाग	1
3.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1
	योग	4

(ख) समस्त प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही की जा रही है.

खनिज रायल्टी मद से प्रतिबंध के बावजूद कराए जा रहे सी.सी. कार्य

9. (*क्र. 01) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2006-2007 में रायगढ़ जिले के सारंगढ़ ब्लाक के पैकेज क्र. सी.जी. 13-31 अनु. क्र. 3/डी.एल. ए.डी.बी.-3 06-07, एजेंसी सुनीलकुमार अग्रवाल क्र. 481-14-4-07 में ग्राम अमझर से अमली डीपा कार्य व ग्राम भीमसेनडीह के मुख्य मार्ग में सी. सी. कार्य 0.320 मीटर सम्मिलित है अगर हां तो सी. सी. कार्य भीमसेनडीह में कितना मीटर किस तिथि को किया गया ? (ख) क्या कंडिका "क" में स्वीकृत मार्ग में भीमसेनडीह में खनिज रायल्टी मद से प्रतिबंध के बावजूद सी.सी. कार्य 11-1-08 को कराया जा रहा था ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जी नहीं. भीमसेनडीह में सी.सी. कार्य 0.320 मीटर नहीं बल्कि 250 मीटर सम्मिलित है, जिसमें से 220 मीटर का कार्य दिनांक 13-8-2007 से दिनांक 27-8-2007 तक किया गया है. (ख) जी नहीं. कंडिका "क" में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य खनिज रायल्टी मद से नहीं कराया गया है. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम भीमसेनडीह की अन्य गलियों में सीमेंट कांक्रीट का कार्य खनिज रायल्टी मद से कराया गया है.

लोड शेडिंग हेतु फीडर बंद किए जाने संबंधी

10. (*क्र. 128) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा 1 जनवरी, 2008 से पूर्णतः विद्युत कटौती बंद करने की घोषणा की गई है ? (ख) 1 जनवरी, 2008 के बाद जांजगीर-चांपा जिले के किस-किस फीडर को लोड शेडिंग हेतु कितने-कितने समय के लिए किस-किस दिनांक को बंद किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं. (ख) 1 जनवरी, 2008 के बाद जांजगीर-चांपा जिले के किसी फीडर को लोड शेडिंग हेतु बंद नहीं किया गया है.

---

† परिशिष्ट "तीन"

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र

11. (*क्र. 365) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन् 2005 से 2007 दिसम्बर में वि. खं. शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा कितने जनभागीदारी एवम् औपचारिकेत्तर शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) बिलाईगढ़ विकासखण्ड में 9 जनवरी, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक कितने जनभागीदारी एवम् औपचारिकेत्तर शिक्षकों ने अपनी सेवायें दी ? नाम, पता तथा शिक्षण सत्र की जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) सन् 2005 से 2007 दिसम्बर में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा जनभागीदारी शालाओं के 345 शिक्षकों को एवं औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के निरंक शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, शिक्षकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) बिलाईगढ़ विकासखण्ड में 9 जनवरी, 2005 से 31 मार्च 2007 तक जनभागीदारी शालाओं के 345 शिक्षकों ने औपचारिकेत्तर शिक्षा के निरंक शिक्षकों ने अपनी सेवायें दी हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम बैजी से केवांछी मार्ग का निर्माण

12. (*क्र. 250) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत ग्राम बैजी से केवांछी मार्ग विकासखण्ड बेमेतरा को स्वीकृति कब दी गई ? निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया ? निर्माण का कार्य कब पूर्ण हुआ ? (ख) 31-10-2007 की स्थिति में सड़क निर्माण में कौन-कौन से कार्य शेष है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2004-05 में. निर्माण कार्य दिनांक 18-2-2005 को प्रारंभ किया गया. निर्माण कार्य अपूर्ण है. (ख) 3 नग फौल्ड क्रासिंग एवं 2 नग ह्यूम पाईप कलवर्ट.

जांजगीर-चांपा जिले में कोल बेस विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

13. (*क्र. 217) **श्री नोवेल कुमार वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 258) दिनांक 3-12-2007 के उत्तर अनुसार जांजगीर चांपा जिले में जिन कोल बेस विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. हुआ है, उसमें यह शर्त है कि एम.ओ.यू. हस्ताक्षर उपरांत 6 माह के भीतर कंपनी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ? यदि हां, तो किन-किन, उद्योगपतियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? (ख) क्या यह भी सही है कि एम.ओ.यू. में यह शर्त है कि एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने के उपरांत 60 दिन के भीतर कंपनी को परियोजना पूर्ण करने का शेड्यूल शासन को प्रस्तुत करना होगा ? (ग) 31 जनवरी, 2008 तक जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होने वाले किन-किन संयंत्रों को कुल कितनी शासकीय एवं निजी जमीन कहां-कहां आवंटित की गई या कंपनी द्वारा खरीदी गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. संबंधित सभी संस्थानों यथा मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन लिमिटेड, चेन्नई, मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड, भोपाल, मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, मेसर्स इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता एवं मेसर्स बी.ई.सी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई द्वारा उक्त समय-सीमा में फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है. (ख) जी हां. (ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 2008 तक जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित होने वाले विभिन्न विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नहीं किया गया है. संबंधित संस्थानों द्वारा क्रय की गई निजी भूमि का विवरण उपलब्ध नहीं है.

रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत कीटनाशक दवाएं क्रय करने हेतु प्राप्त कोटेशन

14. (*क्र. 310) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बिलासपुर जिले में रोजगार गारण्टी योजना के तहत सामग्री एवं कीटनाशक दवायें क्रय करने हेतु किन-किन फर्मों के कोटेशन प्राप्त किये गये थे ? विकासखण्डवार सूची देवें ? कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्मों का पंजीयन क्रमांक तथा सेल टैक्स क्रमांक का उल्लेख करें ? (ख) उल्लेखित फर्मों के प्रोपराइटर/मालिक के नाम क्या है ? जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत सामग्री एवं कीटनाशक दवाईयां क्रय करने हेतु फर्मों से कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं. बल्कि उक्त सामग्रियां छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित एवं छ. ग. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित से तथा उसमें पंजीकृत संस्थाओं/फर्मों से क्रय किया गया है. क्रय से संबंधित

संस्थाओं/फर्मों के नाम, पंजीयन क्रमांक तथा सेल टैक्स क्रमांक की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सामग्री क्रय किये गये संबंधित फर्मों के प्रोपराइटर/मालिक के नाम † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-9 में दर्शित है.

सरपंच के रिक्त पद पर उपसरपंच को दिया गया प्रभार

15. (*क्र. 237) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के कौन-कौन से ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद रिक्त होने या अन्य कारणों से उपसरपंच को सरपंच का प्रभार दिया गया है ? (ख) प्रश्नांश ''क'' में वर्णित ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद किस-किस जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है एवं वर्तमान में पदस्थ कार्यवाहक सरपंच किस वर्ग का है, तथा कब-कब से प्रभार में है ? कृपया अलग-अलग पंचायतवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र ''अ'' में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र ''ब'' में दर्शित है.

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

16. (*क्र. 127) **श्री भूपेश बघेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कवर्धा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रैंगाखार खुर्द में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों में मृत व्यक्ति के नाम पर मजदूरी राशि स्वीकृत कर भुगतान किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जी हां. शिकायत की जांच कराई गई, जांच में शिकायत सही पाया गया. दोषियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. (ख) जांच में श्री विजय कुमार सोयम, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एवं श्री बी.डी. वासनिक, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग कवर्धा को दोषी पाया गया.

पूरक पोषण आहार वितरण संबंधी

17. (*क्र. 329) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों को प्रदान की जाने वाली पूरक पोषण आहार योजना कब से प्रारंभ की गई है ? इस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि एवं कितना-कितना पोषण आहार प्रदान किया जाता है ? अलग-अलग बतायें ? (ख) रायपुर जिला अंतर्गत विकासखण्ड कसडोल, बिलाईगढ़ एवं विकासखण्ड तिल्दा में अगस्त 2007 से नवम्बर, 2007 तक कितनी राशि व पोषण आहार वितरित किया गया ? जानकारी मदवार, विकासखण्डवार, माहवार बतायें ? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त विकासखण्डों में नियमित रूप से पूरक पोषण आहार प्राप्त नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजनांतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है. महिलाओं तथा बच्चों को वर्ष 1975-76 से पूरक पोषण आहार प्रदाय प्रारंभ किया गया. प्रदेश की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के निर्देश 24 फरवरी 2007 को जारी किये गये. पूरक पोषण आहार की विकेन्द्रीकृत चावल आधारित व्यवस्था 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ की गई. पूरक पोषण आहार से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों को राशि नहीं दी जाती अपितु विभिन्न श्रेणी के हितग्राहियों के लिये निर्धारित वित्तीय मापदंड अनुसार वर्तमान में दिये जा रहे पूरक पोषण आहार का विवरण ‡ संलग्न प्रपत्र ''अ'' के अनुसार है. (ख) रायपुर जिला अंतर्गत विकासखंड कसडोल, बिलाईगढ़ एवं तिल्दा में अगस्त 2007 से नवम्बर 2007 तक हितग्राहियों को प्रदायित पूरक पोषण आहार तथा इसके लिये भुगतान की गई राशि का विवरण ‡ संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है. (ग) जी हां, इन विकासखंडों के कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण बाधित हुआ है. पोषण आहार वितरण बाधित होने का मुख्य कारण चावल की अनुपलब्धता एवं नवीन व्यवस्था के कारण समूहों आदि द्वारा क्रियान्वयन की कठिनाईयां हैं.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत एवं व्यय राशि

18. (*क्र. 284) **श्री नंद कुमार पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 एवं 2007-

† परिशिष्ट ''चार'' †† परिशिष्ट ''पांच'' ‡ परिशिष्ट ''छः''

08 में 31-1-2008 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? जिलेवार जानकारी देवें. (ख) वर्ष 2007-08 के स्वीकृत कार्यों में 31-1-2008 की स्थिति में कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के क्रमशः कालम 3 एवं 4 में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कालम 5 में दर्शित है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु

19. (*क्र. 02) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायगढ़ जिले के बरमकेला वि. खं. के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पैकेज क्र. सी.जी. 13-22 एवं सी.जी. 13-24 के पांच सड़कों में अपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करके पूर्ण करने हेतु कार्यपालन अभियंता रायगढ़ द्वारा ठेकेदार को 21-9-2007 को पत्र क्र. 1497-2007 दिया है ? अपूर्ण कार्य को कब-कब पूर्ण किया गया ? (ख) कंडिका ''क'' में उल्लेखित कार्यों को पूर्ण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जी हां. अपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित कार्य को समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार को अनुबंध की कंडिका 44.1 के अंतर्गत विलंब के लिये रु. 64.82 लाख की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है. यदि जून 2008 तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो कंडिका 52.2 के तहत अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति तथा विद्युत मंडल द्वारा क्रय विद्युत

20. (*क्र. 129) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2008 की स्थिति में प्रदेश में विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, एवं उसके विरुद्ध कितना-कितना उत्पादन प्राप्त किया गया है ? संयंत्रवार जानकारी दें ? (ख) 1 जनवरी, 2008 को स्थिति में कितने विद्युत की मांग दर्ज की गई एवं कुल कितनी आपूर्ति की गई ? (ग) 1 जनवरी, 2008 की स्थिति में शासकीय संयंत्रों से प्राप्त विद्युत के अलावा कितनी बिजली विद्युत मंडल द्वारा क्रय की गई ? किन-किन संयंत्रों से किस-किस दर पर विद्युत क्रय किया गया ? संयंत्रवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 1 जनवरी 2008 की स्थिति में प्रदेश में विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 6509.94 मेगावाट है. संयंत्रवार उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-I में दर्शाई गई है. (ख) 1 जनवरी, 2008 की स्थिति में विद्युत की मांग 1980 मेगावाट दर्ज की गई एवं कुल 2010 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की गई. (ग) 1 जनवरी 2008 की स्थिति में शासकीय संयंत्रों से प्राप्त विद्युत के अलावा औसतन प्रतिदिन 12.11 मिलियन यूनिट बिजली विद्युत मंडल द्वारा क्रय की गई. विद्युत क्रय के दरों की संयंत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-II में दर्शाई गई है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में

21. (*क्र. 265) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मेन रोड से सिलघट ढाबा मार्ग विकासखण्ड बेरला एवं धिवरी से कंदई मार्ग विकासखंड साजा का निर्माण कब हुआ ? (ख) क्या वर्तमान में उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो किन कारणों से एवं कब से ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) मेनरोड से सिलघट ढाबा मार्ग विकासखण्ड बेरला का निर्माण दिनांक 23-3-2005 एवं धिवरी से कंदई मार्ग विकासखण्ड साजा का निर्माण दिनांक 23-12-2005 को पूर्ण हुआ है. (ख) जी हां. मेनरोड से सिलघट ढाबा मार्ग माह जून 2007 की अतिवृष्टि से खारून नदी में आई अत्यधिक बाढ़ के कारण 6.14 किमी. लंबी सड़क में से 600 मीटर लंबाई में क्षतिग्रस्त हुई है. धिवरी से कंदई मार्ग के 1.65 किमी. लम्बी कांक्रीट सड़क में 727 मीटर कांक्रीट मार्ग का कार्य सितम्बर 2006 से खराब है. डामरीकृत मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है.

विकासखंड डभरा एवं मालखरौदा में बिजली बिल भुगतान के अभाव में विद्युत कनेक्शन काटे जाने संबंधी

22. (*क्र. 218) **श्री नोबेल कुमार वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जांजगीर-चांपा जिले के

† परिशिष्ट ''सात''

विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा में वर्ष 2007-08 में दिनांक 30-1-08 तक बिजली बिल की बकाया राशि भुगतान नहीं होने के फलस्वरूप विद्युत कनेक्शन काटा गया है ? यदि हां, तो बकाया राशि, कितनी-कितनी है ? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) बिजली बिल बकाया होने के फलस्वरूप किन-किन ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मर फेल हैं, जिन्हें विभाग द्वारा बकाया राशि के वसूली पूर्व नहीं लगाया जा रहा है ? ग्राम का नाम, ट्रांसफार्मर फेल होने का दिनांक, फेल ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या-क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा के अंतर्गत दिनांक 30-1-2008 को स्थिति में काटे गये विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध कुल बकाया राशि रु. 1,13,16,819.00 है. ग्रामवार बकाया राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित ग्रामों में से ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां फेल हुए विद्युत ट्रांसफार्मर को, बकाया राशि होने के कारण नहीं बदला गया है. अतः ऐसे किसी ग्राम अथवा फेल ट्रांसफार्मर के संबंध में जानकारी दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

<u>जरहागांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भवन विहीन ग्राम पंचायतों हेतु भवन व्यवस्था</u>

23. (*क्र. 311) **श्री चुरावन मंगेशकर** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जरहागांव विधान सभा क्षेत्र में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतें कितनी है ? पंचायतवार जानकारी दी जाए ? (ख) भवन विहीन पंचायतों में भवन निर्माण कब तक कर लिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)		विकासखण्ड (2)		ग्राम पंचायत का नाम (3)
1.		पथरिया		1. परसिया
2.		लोरमी		1. रवेली
3.		मुंगेली		1. भठलीकला
				2. ठकुरीकांपा
	योग	3	योग	4

(ख) चारों ही भवन स्वीकृत किए जा चुके हैं एवं निर्माणाधीन हैं, पूर्णता का समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 326) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/5172/विद्यो./पा. पु./2007-08 — रायपुर दिनांक 24-8-07

विज्ञप्ति

मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित हिन्दी विशिष्ट कक्षा 10वीं की पुस्तक के पाठ 12-गुरु घासीदास के पैरा-1 की पंक्ति "उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं था. ऊंचे लोगों की कृपा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख था." को विलोपित किया जाता है.

हस्ता./-
सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ. क्र./5173/विद्यो./पा. पु./2007-08 — रायपुर, दिनांक 24-8-07

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर भेजकर अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को कृपया अवगत कराने का कष्ट करें.
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर.
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर.
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ कृपया उक्तानुसार संशोधन के अनुसार पाठ्य पुस्तक में सुधार किये जाने हेतु सूचनार्थ.
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
6. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं (छ. ग. मा. शि. मं.) की ओर भेजकर अनुरोध है कि वांछित संशोधन के अनुसार पाठ्य पुस्तक में सुधार किये जाने हेतु सूचनार्थ.
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर.
10. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर.
11. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ. ग. मा. शि. मं., रायपुर.
12. समस्त प्रथम श्रेणी/सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी, छ. ग. मा. शि. मं., रायपुर.
13. समस्त पंजीकृत प्रकाशकगण, छ. ग. मा. शि. मं. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.
14. समस्त मण्डल सदस्यगण, छ.ग. मा. शि. मं, रायपुर.
15. धर्मगुरु बालदास साहेब, गद्दीदार गुरुद्वारा, भंडारपुरी, जिला-रायपुर (छ. ग.) की ओर सूचनार्थ.

सही/-
सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

प्रपत्र "ख"

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/5380/विद्यो./पा. पु./2007-08 रायपुर दिनांक 3-9-07

विज्ञप्ति

मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से 2007-08 में प्रकाशित हिन्दी विशिष्ट कक्षा 10वीं की पुस्तक के पाठ 12-गुरु घासीदास के पाठ को विलोपित किया जाता है. उक्त पाठ के स्थान पर विज्ञप्ति के साथ संलग्न पाठ-संत शिरोमणि गुरु घासीदास का ही विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन कराया जाय.

संलग्न : उक्तानुसार.

हस्ता./-
सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ. क्र./5381/विद्यो./पा. पु./2007-08 रायपुर, दिनांक 3-9-07

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर भेजकर अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को कृपया अवगत कराने का कष्ट करें.
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर.
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर.
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ. कृपया अपने स्तर पर संलग्न विज्ञप्ति सहित पाठ का मुद्रण कर समस्त विद्यालयों में वितरित करवाने का कष्ट करें.
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
6. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूचनार्थ.
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर. आप अपने स्तर पर सभी विद्यालयों के लिए विज्ञप्ति एवं पाठ को प्रसारित करें.
10. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर.
11. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ. ग. मा. शि. मं., रायपुर.
12. समस्त प्रथम श्रेणी/सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी, छ. ग. मा. शि. मं., रायपुर.
13. समस्त पंजीकृत प्रकाशकगण, छ. ग. मा. शि. मं. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.
14. समस्त मण्डल सदस्यगण, छ.ग. मा. शि. मं. रायपुर.
15. श्री शंकर लाल टोडर, ग्राम व पोस्ट-देवपुरी, व्हाया माना कैम्प, जिला रायपुर की सहमति के आधार पर जारी विज्ञप्ति सूचनार्थ.
16. धर्मगुरु बालदास साहेब, गद्दीदार गुरुद्वारा, भंडारपुरी, जिला-रायपुर (छ. ग.) आपके प्रतिनिधि को सहमति के संदर्भ में सूचनार्थ.

सही/-
सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 126) के भाग (ख) की जानकारी]

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र. (1)	अधिकारी/कर्मचारी (2)	कार्यवाही (3)
1.	तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर	निलम्बित
2.	तत्कालीन सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर	निलम्बित
3.	पांच विकासखण्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, नरहरपुर, चारामा, कांकेर एवं अंतागढ़.	निलम्बित
4.	दो विकासखण्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्गकोंदल एवं भानुप्रतापपुर.	विभागीय जांच चालू
5.	तत्कालीन उपसंचालक कृषि, कांकेर	निलम्बित
6.	तत्कालीन सहायक ग्रेड-02 जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा	निलम्बित
7.	तत्कालीन सहायक परियोजना अधिकारी, संविदा (NREGA) जिला पंचायत कांकेर	सेवामुक्त
8.	सातों विकासखण्ड के तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी, संविदा (NREGA) जनपद पंचायत- नरहरपुर, कांकेर, चारामा, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल.	सेवामुक्त
9.	श्री पी. के. देवांगन, प्रभारी सहायक अभियंता, जनपद पंचायत चारामा	एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
10.	श्री के. आर. जांगड़े, प्रभारी सहायक अभियंता, जनपद पंचायत नरहरपुर	दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 283) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में शिक्षाकर्मी भर्ती हेतु वर्गवार एवं विषयवार रिक्त पदों के लिये जारी विज्ञापन की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	शिक्षाकर्मी वर्ग-01																	शिक्षाकर्मी वर्ग-02			शिक्षाकर्मी वर्ग-03	कुल योग
		गणित	जीव विज्ञान	रसायन	भौतिक	अंग्रेजी	हिन्दी	इतिहास	भूगोल	राजनीति	अर्थ शास्त्र	कृषि	संस्कृत	वाणिज्य	समाज शास्त्र	व्यव-सायिक	अन्य	योग	कला	विज्ञान	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.	रायपुर	34	55	52	66	40	43	12	40	27	26	6	2	13	0	0	0	416	168	960	1128	1482	3026
2.	महासमुन्द	10	9	9	10	4	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	48	0	191	191	739	978
3.	धमतरी	9	10	14	19	20	6	5	17	5	0	0	0	1	0	3	0	109	53	28	81	639	829
4.	दुर्ग	24	24	37	41	18	36	11	9	24	19	1	1	3	0	0	0	248	97	84	181	1668	2097
5.	राजनांदगांव	14	17	28	31	17	17	4	3	11	7	4	0	2	0	0	1	156	51	150	201	1609	1966
6.	कबीरधाम	7	6	13	10	8	4	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	56	72	243	315	1066	1437
7.	बस्तर	24	25	24	37	22	2	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	140	511	393	904	1634	2678
8.	दंतेवाड़ा	14	5	8	13	15	2	1	12	0	6	1	0	5	0	0	0	82	163	163	326	460	868
9.	कांकेर	39	37	33	45	26	13	9	6	0	12	8	3	2	0	0	0	233	160	80	240	409	882
10.	बिलासपुर	8	9	7	20	6	4	1	9	5	3	3	3	0	0	0	0	78	31	52	83	2025	2186
11.	कोरबा	27	13	17	23	15	13	2	14	1	12	5	1	3	0	0	0	146	166	288	454	774	1374
12.	जांजगीर-चांपा	19	32	30	43	19	8	7	11	5	4	0	0	0	0	0	0	178	289	275	564	1171	1913
13.	रायगढ़	31	25	38	34	23	15	4	19	5	4	0	0	0	0	0		198	376	187	563	888	1649
14.	जशपुर	18	12	17	17	12	3	5	9	1	7	10	3	5	0	0	3	122	94	125	219	629	970
15.	सरगुजा	53	48	56	58	47	17	9	19	9	12	19	6	12	0	0	1	366	321	833	1154	1246	2766
16.	कोरिया	12	12	12	15	13	12	4	6	1	2	0	0	0	1			90	65	66	131	520	741
	योग	343	339	395	482	305	195	77	181	96	117	60	20	47	1	3	5	2666	2617	4118	6735	10853	20254

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 310) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत क्रय किये गये सामग्रियों एवं कीटनाशक दवाईयों की विकासखण्डवार जानकारी-जिला बिलासपुर

विकासखण्ड का नाम (1)	कार्य का नाम (2)	सामग्री का नाम (3)	मात्रा (4)	फर्म का नाम जिससे क्रय किया गया (5)	फर्म का पंजीयन क्रमांक (6)	सेल टैक्स नंबर (7)	प्रोप्राइटर/मालिक का नाम (8)
कोटा	रतनजोत पौध रोपन हेतु खाद	डी. ए. पी.	554 बैग	छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, बिलासपुर	-	CIR-1004-7514/6-5 CSRTC-1004/6424-C	-
	रतनजोत पौधा दोना हेतु	पॉलीथीन बैग	6500 किलो	अग्रहरि प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, बिलासपुर	CSIDC/MKD/REGN/ 2003/00176 Dated 15-02-05	CGST 009/BIL-II-XIV/ 2289/5, CST BIL-II/ XIV/1315	श्री संतोष कुमार गुप्ता, बिलासपुर
		पॉलीथीन बैग	4000 किलो	अनिल कुमार गोयल, मनेन्द्रगढ़	-	TIN No. 22254800229	श्री अनिल कुमार गोयल, मनेन्द्रगढ़
		पॉलीथीन बैग	2225 किलो	मनोज इण्टरप्राइजेस, बिलासपुर	10/0505407/एम/लघु/ दिनांक 27-05-07 संशोधन दिनांक 04-05-95	CST-11/01/2713/C TIN No. 22564200744	श्रीमति प्रतिभा गुप्ता, बिलासपुर
	रतनजोत नर्सरी	यू. एल. डी.	35.6 लीटर	छ. ग. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. रायपुर	1003/7543/	TIN 22631203648	-
	रतनजोत पौधा तैयारी	पोलीथीन बैग्स	2500 कि. ग्रा.	मूलचंद पोलीमर, रायपुर	10/27/03708/ PMT/SSI Dt. 20-3-82	C. G. S. T. No. 056/RYP/ 1/XXIII/3457-3 C. S. T. No. RYP/I/XXIII/2792-C Tin No. 22161404454	प्रो. संतोष जैन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		पोलीथीन बैग्स	6350 कि. ग्रा.	अग्रहरि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/09529 Dt. 30-8-91	C. G. S. T. No. 009/Bil-II/ XIV/2289/5 C. S. T. No. Bil-II/XIV/1315 Tin No. 22654200064	प्रो. संतोष गुप्ता
		स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना नर्सरी रोपणी	स्प्रिंकलर सिस्टम	गौतम प्लास्टिक एण्ड इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/01658/ PMT/SSI/8981	Tin No. 22714200031 Dt. 15-9-2003	प्रो. सुनील मारदा
	पथ रोपण	जी. आई. बारबेड वायर	70000 कि.ग्रा.	अग्रहरि बारबेड वायर इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/06016 Dt. 14-11-86	C. G. S. T. No. 11/07/0841/S C. S. T. No. 11/07/0331/C Tin No. 22654200064	प्रो. संतोष गुप्ता
	रतनजोत रोपण	कीटनाशक दवा पेथोट 2 प्रति. बी. पी.	1000 कि.ग्रा.	महामाया बायोप्रोडक्ट इंडिया, रायपुर	-	M. P. S. T. No. 10/04/ 5359/9/S C. S. T. No. 10/04/4468-C	प्रो. श्री एस. आर. शर्मा
मरवाही	रतनजोत पौधा तैयारी	पोलीथीन बैग्स	2500 कि.ग्रा.	मूलचंद पोलीमर, रायपुर	10/27/03708/ PMT/SSI Dt. 20-3-82	C. G. S. T. No. 056/RYP/ I/XXIII/3457-3 C. S. T. No. RYP/I/XXIII/2792-C Tin No. 22161404454	प्रो. संतोष जैन
		पोलीथीन बैग्स	6350 कि. ग्रा.	अग्रहरि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/09529 Dt. 30-8-91	C. G. S. T. No. 009/Bil-II/ XIV/2289/5 C. S. T. No. Bil-II/XIV/1315 Tin No. 22654200064	प्रो. संतोष गुप्ता
		स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना अग्रिमकार्य, रोपणी	स्प्रिंकलर सिस्टम	गौतम प्लास्टिक एण्ड इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/01658/ PMT/SSI/8981	Tin No. 22714200031 Dt. 15-9-2003	प्रो. सुनील मारदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	पथ रोपण	जी. आई. बारबेड वायर	70000 कि.ग्रा.	अग्रहरि बारबेड वायर इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/06016 Dt. 14-11-86	C. G. S. T. No. 11/07/0841/S C. S. T. No. 11/07/0331/C Tin No. 22654200064	प्रो. संतोष गुप्ता
	रतनजोत रोपण	कीटनाशक दवा पेथोड 2 प्रति.बी. पी.	1000 कि.ग्रा.	महामाया बायोप्रोडक्ट इंडिया, रायपुर.	-	M. P. S. T. No. 10/04/ 5359/9/S C. S. T. No. 10/04/4468-C	प्रो. श्री एम. आर. गर्ग
	रतनजोत पौध रोपण	कीटनाशक दवा पेथोड 2 प्रति.बी. पी.	35.99 क्वि.	मेसर्स आदिति एग्री क्लिनिक सेन्टर शनिचरी बाजार, बिलासपुर.	26/06-07	CGST No./11/07/3672	श्री गिरधारी लाल सोनी
	रतनजोत नर्सरी	यू. एल. डी.	26.7 लीटर	छ. ग. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. रायपुर.	1003/7543/	TIN 22631203648	-
बिल्हा	रतनजोत नर्सरी	यू. एल. डी.	36 लीटर	त्रिवेणी खाद भंडार तिफरा	251	-	घनश्याम मौर्य
	वृक्षारोपण बांस/ रतनजोत	लिन्डेन क्लोरोपाइरीफॉस	1500 कि. ग्रा.	अम्बे एग्रो केमिकल धमतरी	0	1005/834/-/C	विजय खण्डेलवाल
	रतनजोत पौध रोपण	क्लोरोपाइरीफॉस	27.2 क्वि.	मेसर्स आदिति एग्री क्लिनिक सेन्टर शनिचरी बाजार, बिलासपुर.	26/06-07	CGST No./11/07/3672	श्री गिरधारी लाल सोनी
	वृक्षारोपण बांस/रतनजोत/ नर्सरी तैयारी	पॉलिथिन बैग		अग्रहरि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	-	11-07-0331-C	संतोष गुप्ता
		पॉलिथिन बैग		गुप्ता प्लास्टिक बिलासपुर	-	11/07/0841/S	संतोष गुप्ता
		पॉलिथिन बैग		खण्डेलवाल प्लास्टिक रायपुर	-	RYP/V/XXV/II/1869	अशोक खण्डेलवाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	रतनजोत नर्सरी	यू. एल. डी.	26.7 लीटर	छ. ग. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या, रायपुर.	1003/7543/	TIN 22631203648	-
पथरिया	रतनजोत पौध रोपण	यू. एल. डी.	21.2.2 किग्र.	मेसर्स आदिति एग्री क्लिनिक सेन्टर शनिचरी बाजार, बिलासपुर.	26/06-07	CGST No./11/07/3675	श्री गिरधारी लाल सोनी
पेण्ड्रा	रतनजोत पौधा तैयारी	पोलीथीन बैग्स	2500 कि.ग्रा.	मूलचंद पोलीमर, रायपुर	10/27/03708/ PMT/SSI Dt. 20-3-82	C. G. S. T. No. 056/RYP/ I/XXIII/3457-3 C. S. T. No. RYP/I/XXIII/2792-C Tin No. 22161404454	प्रो. संतोष जैन
		पोलीथीन बैग्स	6350 कि. ग्रा.	अग्रहरि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/09529 Dt. 30-8-91	C. G. S. T. No. 009/Bil-II/ XIV/2289/5 C. S. T. No. Bil-II/XIV/1315 Tin No. 22654200064	प्रो. संतोष गुप्ता
		स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना अरण्यिका, रोपणी	स्प्रिंकलर सिस्टम	गौतम प्लास्टिक एण्ड इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/01658/ PMT/SSI/8981	Tin No. 22714200031 Dt. 15-9-2003	प्रो. सुनील मारदा
	पथ रोपण	जी. आई. बारबेड वायर	70000 कि.ग्रा.	अग्रहरि बारबेड वायर इंडस्ट्रीज, बिलासपुर.	10/05/06016 Dt. 14-11-86	C. G. S. T. No. 11/07/0841/S C. S. T. No. 11/07/0331/C Tin No. 22654200064	प्रो. संतोष गुप्ता

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 237) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

ग्राम पंचायतों के नाम जहां सरपंच के पद रिक्त होने से अन्य को सरपंच का प्रभार दिया गया है-जिला रायपुर

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)
1.	फरफौद
2.	धनचौदा
3.	खपरी (स)
4.	सिरियाडीह
5.	पुरैनाखपरी
6.	गिर्धारी
7.	खर्रा
8.	सोहागपुर
9.	खपरीडीह
10.	सोनियाडीह
11.	चोरभट्ठी
12.	चरभट्ठी
13.	खोला
14.	लमकेनी
15.	पचेड़ा
16.	बेलर

प्रपत्र "ब"

सरपंच के रिक्त पदों पर कार्यवाहक/प्रभारी सरपंचों की वर्गवार जानकारी-जिला रायपुर

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	आरक्षित सरपंच पद का प्रवर्ग (3)	कार्यवाहक सरपंच का प्रवर्ग (4)	कार्यभार ग्रहण दिनांक (5)
1.	फरफौद	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	27-10-07
2.	बनचरौदा	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	28-01-08
3.	खपरी (स)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	06-10-06
4.	सिरियाडीह	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	22-01-05
5.	पुरेनाखपरी	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	23-11-07
6.	गिधौरी	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	11-02-05
7.	खर्रा	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	14-10-07
8.	सोहागपुर	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	13-11-07
9.	खपरीडीह	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	02-11-07
10.	सोनियाडीह	अनुसूचित जाति (म)	अन्य पिछड़ा वर्ग	25-10-07
11.	चोरभट्ठी	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	15-01-08
12.	चरभट्ठी	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	01-01-08
13.	खोला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	14-08-06
14.	लमकेनी	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	16-10-07
15.	पचेड़ा	अनुसूचित जनजाति (म)	अनारक्षित	15-01-08
16.	बेलर	अनुसूचित जाति (म)	अन्य पिछड़ा वर्ग	15-12-07

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 329) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पूरक पोषण आहार व्यवस्था अनुसार हितग्राहियों के लिए वित्तीय मापदंड एवं मापदंड अनुसार हितग्राहियों को प्रदायित पूरक पोषण आहार का विवरण :—

क्र.	हितग्राही श्रेणी	प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से निर्धारित व्यय हेतु वित्तीय मापदंड	प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से वितरित किए जाने वाले पोषण आहार का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	2.00 रु.	चावल 70 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, प्रोसेस्ड सोया 10 ग्राम, मिक्स दाल 15 ग्राम, तेल मसाले सहित तैयार मिक्स सब्जी 20 ग्राम.
2.	3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	2.70 रु.	चावल 140 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, प्रोसेस्ड सोया 10 ग्राम, मिक्स दाल 20 ग्राम, तेल मसाले सहित तैयार मिक्स सब्जी 20 ग्राम.
3.	6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	2.00 रु.	चावल 100 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, मिक्स दाल 20 ग्राम, प्रोसेस्ड सोयाबीन 10 ग्राम.
4.	6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	2.70 रु.	चावल 140 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, मिक्स दाल 30 ग्राम, प्रोसेस्ड सोयाबीन 15 ग्राम.
5.	गर्भवती/शिशुवती माताएं/ किशोरी बालिकाएं	2.30 रु.	चावल 140 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, मिक्स दाल 20 ग्राम, प्रोसेस्ड सोयाबीन 15 ग्राम.

प्रपत्र "ब"

क्र.	विकासखण्ड का नाम	माह का नाम	प्रदर्शित किए गए चावल की मात्रा (कि. ग्रा. में)	चावल क्रय हेतु भुगतान की गई राशि (रुपये में)	चावल के अतिरिक्त अन्य वितरित की गई खाद्य सामग्री (दाल, गुड़, तेल, सोयाबीन, सब्जी आदि) की मात्रा (कि. ग्रा. में)	चावल के अतिरिक्त अन्य वितरित की गई खाद्य सामग्री (दाल, गुड़, तेल, सोयाबीन, सब्जी आदि) एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु भुगतान की गई राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलाईगढ़	अगस्त 2007	46200.00	941325.00	29817.02	1342704.00
		सितम्बर 2007	59776.90	0	33625.23	0
		अक्टूबर 2007	54780.56	0	31333.14	675610.00
		नवम्बर 2007	55280.70	941325.00	31519.64	0
		योग	**216038.16**	**1882650.00**	**126295.03**	**2018314.00**
2.	कसडोल	अगस्त 2007	34797.17	757625.00	21868.64	766553.00
		सितम्बर 2007	47368.41	0	28326.38	385626.00
		अक्टूबर 2007	46646.27	0	24099.42	0
		नवम्बर 2007	54149.00	757625.00	25474.72	0
		योग	**182960.85**	**1515250.00**	**99769.15**	**1152179.00**
3.	तिल्दा	अगस्त 2007	51631.28	1000300.00	29521.12	838937.00
		सितम्बर 2007	32712.91	0	19397.22	0
		अक्टूबर 2007	33336.04	0	20217.81	1000952.00
		नवम्बर 2007	26588.52	1000300.00	16526.80	0
		योग	**144268.75**	**2000600.00**	**85662.95**	**1839889.00**

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 284) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत एवं व्यय राशि की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	वर्ष 2006-07 स्वीकृत राशि (लाख में)	वर्ष 2007-08 (31-01-2008 तक) स्वीकृत राशि (लाख में)	वर्ष 2007-08 (31-01-2008 तक) स्वीकृत कार्य में व्यय राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर	7373.10	10982.02	8703.28
2.	कोरिया	6367.69	6673.34	3477.82
3.	जशपुर	7376.61	4421.27	4935.48
4.	बिलासपुर	14466.52	28385.82	15752.42
5.	धमतरी	6436.40	9393.35	5167.53
6.	कबीरधाम	4829.89	7707.79	4994.28
7.	रायगढ़	100.09	71.77	8052.39
8.	कांकेर	12928.10	13136.82	8185.30
9.	दंतेवाड़ा	4299.37	6957.46	4526.43
10.	महासमुंद	*	6536.66	2383.19
11.	सरगुजा	10511.88	14032.93	11023.26
12.	राजनांदगांव	5740.08	8482.72	7770.63
13.	रायपुर	*	33703.90	6108.24
14.	जांजगीर-चांपा	*	7039.04	1445.88
15.	कोरबा	*	8549.81	2195.45
	कुल योग	**80429.727**	**166074.699**	**94721.58**

* वर्ष 2006-07 में जिले रायपुर, महासमुंद, जांजगीर-चांपा एवं कोरबा में यह योजना लागू नहीं थी.